



2026:AHC:31223

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2152/2026

दीपक कुमार

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार, शारदा विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, इस प्रकार पक्षों की सहमति से रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने 16.06.2008 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में सफाई कर्मों के पद के लिए आवेदन किया था और उसका दावा है कि उसका चयन हो गया था; हालाँकि, 01.07.2025 को, भदोही के जिला मजिस्ट्रेट ने जिला भदोही में सफाई कर्मियों की तैनाती के संबंध में प्रमुख सचिव, पंचायत राज को एक पत्र जारी किया था। निदेशक, पंचायत राज, उ०प्र० लखनऊ ने भी 25.08.2025 को क्षेत्रीय उप निदेशक, पंचायत राज को जिला भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में बैठक को लेकर एक पत्र भेजा है। रिट याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 05.08.2025 को सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक पत्र भेजा था, और पंचायत राज निदेशक, लखनऊ ने 18.09.2025 को विभिन्न जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को एक आदेश/निर्देश पत्र जारी किया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 18.09.2025 का पत्राचार स्वयं ही अवैध है; विशेष रूप से तब, जब भदोही में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं, जिनके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जा सकती है, परंतु अब उक्त पद को अन्य जिलों में समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वे अपनी प्रार्थना को, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2025 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण तक ही सीमित रखते हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, रिट याचिकाकर्ता के लिए भदोही के जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का विकल्प सदैव खुला है।
5. विपक्षी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे; और तीसरा प्रत्यर्थी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, उस पर निर्णय देगा। यदि तीसरे प्रत्यर्थी का मत है कि इस विषय पर निर्णय किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए, तो दस्तावेज़ उन्हें प्रेषित किए जाएंगे।
6. यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"